अनिवार्य

चयनित प्रतिनिधि शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्रतिनिधि/[illegible]/[illegible]/[illegible]/[illegible] लखनऊ: दिनांक- [illegible]

अधिसूचना

प्रतिनिधि अधिनियम [illegible] शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/[illegible] प्रतिनिधि, नई दिल्ली द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रमों की अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्रतिनिधि शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ के सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक [illegible] को परिषद अधिनियम के सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु अतिरिक्त नई संस्थाओं की सम्बद्धता, पूर्व से अनुमोदित संस्थाओं की सम्बद्धता विस्तार/सम्बद्धता, अतिरिक्त कक्षाओं/पाठ्यक्रम वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए वर्ष 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक के निर्णय एवं निर्देश के अनुपालन में निम्न संस्था को प्रतिनिधि शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु निम्नलिखित कार्सों के अतिरिक्त पाठ्यक्रम एवं प्रवेश अतिरिक्त प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है।

संस्था का नाम एवं पता : 1106-J.B. COLLEGE OF PHARMACY, KOSA, KHURD, MATHURA

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	[illegible] द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था [illegible] द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था द्वारा प्रदेश प्रतिनिधि शिक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्रतिनिधि शिक्षा परिषद, दिल्ली/[illegible], 1948, [illegible] दिल्ली/[illegible], 1948 तथा अन्य निर्गत नियमों एवं अधिनियम का अनुपालन करेगी तथा मूल्यांकन समिति द्वारा निर्धारित मूल्यांकन शुल्क तथा समिति द्वारा मांगी जानकारी हेतु रू0 [illegible] तथा [illegible]- अतिरिक्त, जो समिति कार्यालय पाठ्यक्रम हेतु रू0- [illegible] तथा एक अन्य जो समिति पाठ्यक्रमों हेतु समिति कार्यालय पाठ्यक्रम के अतिरिक्त हेतु रू0- [illegible] अतिरिक्त मूल्यांकन की प्रतिलिपि कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त कार्यालय-[illegible] के शुल्क के भुगतान के भुगतान-भाग [illegible] द्वारा निर्गत किये गये [illegible] प्रतिलिपि होगी, जिसे [illegible] कार्यालय किया जाना अनिवार्य होगा। समिति निर्धारण समिति द्वारा यदि वर्ष [illegible] हेतु समिति का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो समिति की [illegible] एवं लागू होगा।
- ✓ संस्था को उपरोक्त प्रतिनिधि शिक्षा अधिनियम एवं उप0 अधिनियम, नियमावली एवं पाठ्यक्रम किया जाना विनियमावली,[illegible] की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था के संचालन प्रदेश परिषद, परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यों को ही प्रवेश दिया जायेगा, प्रवेश के दिवस पर वर्ष की स्थिति में [illegible] प्रवेश संख्या के निर्धारण/[illegible] ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को [illegible] द्वारा [illegible] के अनुसार निर्धारित एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को [illegible] के अनुसार हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

✓ [illegible] एवं [illegible] के निदेशक, [illegible] शिक्षा, उत्तराखण्ड, [illegible] परीक्षा परिषद, उत्तराखण्ड तथा [illegible] शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड द्वारा [illegible] विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों को प्रदान करने के लिये कार्य होगी।

✓ [illegible] द्वारा [illegible] सी.बी.एस.ई., नई दिल्ली के अनुमोदन प्राप्त करने में सहायता देती है तथा इस संबंध में समस्त उपयोगिता केन्द्र का होगा और विभिन्न कार्य के विभागों को कार्यालयों के लिए समय समय उपलब्धता होगी। व्यावसायिक शिक्षा परिषद, राज्यस्तर [illegible] परीक्षा परिषद, व्यावसायिक शिक्षा निदेशालय एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन की कार्य नीति तथा [illegible] विभाग करता है तथा साथ साथ के संबंध में भी, सहायता द्वारा किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रकार आदेश जिनके विभाग जाता है तो समस्त त्रुटिपूर्ण संबंधित संबंध की करनी होगी।

✓ [illegible] द्वारा [illegible] सहायता प्रदान करने वाली प्रकाशनों को राज्यस्तर [illegible] परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सहायता, द्वारा प्रकाशन के लिए [illegible] परीक्षा हेतु कार्यशिक्षित प्रदान होने के पूर्व [illegible] में अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगी अन्यथा उन्हें प्रकाशन की उपयोगिता के प्रयोजन से अपना संबंध बना रहे तथा [illegible] जानकारी नहीं प्रदान की जायेगी।

✓ उच्च [illegible] सहायता द्वारा प्रकाशन हेतु निर्गत [illegible] आदेशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

✓ संस्था को अपने [illegible] पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की [illegible] पंजी पुस्तिका, [illegible] उपकरण, प्राप्त किया गया दान, [illegible], [illegible] आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।

✓ संस्था की [illegible] हेतु उपयुक्त [illegible] उपलब्ध कराने के साथ [illegible] के सम्बन्ध में [illegible] उपलब्ध [illegible] सुनिश्चित करनी होगी।

✓ संस्था यह सुनिश्चित है कि जिस संस्था में [illegible] परीक्षा [illegible] की [illegible] हेतु निर्धारित [illegible] के साथ उपलब्ध कराना तथा [illegible], पुस्तिका, [illegible], उपकरण इत्यादि का यदि [illegible] द्वारा किसी अन्य [illegible] के [illegible] में प्रयोग किया जाता है और [illegible] की दूसरी जानकारी होती है कि संस्था उपलब्ध का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संबंधित संस्था की [illegible] सम्बन्ध किये जाने की अनुमति की जायेगी।

✓ संस्था के [illegible] निर्धारित [illegible] यदि संस्था में पुस्तिका, [illegible], [illegible], उपकरण एवं अन्य [illegible] [illegible] के [illegible] उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की [illegible] सम्बन्ध का दी जायेगी।

✓ [illegible] कार्यों का अनुपालन न किये जाने अथवा कार्यों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

राजीव कुमार श्रीवास्तव

सचिव

पृ.सं.- [illegible] [illegible]/2021-2024-4001 दिनांक: [illegible]

प्रतिलिपि-

[illegible] J.B.B. COLLEGE OF PHARMACY, KOSI KHURD, MATHURA

राजीव कुमार श्रीवास्तव

सचिव

कार्यालय,
माध्यमिक प्राथमिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पत्रांक– प्रा0शि0/परिषद सम्बद्धता/2019/1152 लखनऊ: दिनांक 16-8-2019

(–कार्यालय ज्ञाप–)

प्राथमिक माध्यमिक तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु विभागीय मान्यता तकनीकी विद्यालय संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2019 को आयोजित प्राथमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद् कार्यालय में बैठक आयोजित हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु प्राथमिक नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से सम्बद्धित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि/कमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-5 में विभागीय द्वारा तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली नई संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया –

"एडमाइनिस्ट्रेटिव द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में संलग्नक-2 में अंकित पूर्व से सम्बद्ध विभागीय तकनीकी संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से संलग्नक-2 में अंकित संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि संस्थाओं को विभागीय द्वारा तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश की संस्तुति सत्र 2019-20 हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद् द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग प्राप्त होने के पूर्व सैम्पलिंग/अनुमोदन पत्र परिषद् कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही की जायेगी।"

अतः निम्नानुसार समीक्षित संस्था को परिषद् की निरीक्षण समिति एवं जिला-निरीक्षक द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गये निर्णय के आधार पर प्राथमिक शिक्षा परिषद् उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :–

क्र0 सं0	जिला कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	एडमाइनिस्ट्रेटिव/वि0 निरीक्षक द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	लखनऊ	मेडिकल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बंथरा कुर्मी, लखनऊ	डिप्लोमा इन फार्मेसी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एडमाइनिस्ट्रेटिव द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद् तथा संबद्ध तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद् विनियमावली तथा तथा अन्य विहित नियमों एवं शर्तों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क नियंत्रण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क मीन समिति प्रवेश पाठ्यक्रमों हेतु रू0 [illegible]/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु रू0- [illegible]/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष के वर्षीय पाठ्यक्रमों एवं वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रशिक्षकों हेतु रू0- [illegible] प्रतिवर्ष शुल्क की प्रतिपूर्ति छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। प्रशिक्षक के प्रशिक्षित छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये गये शासनादेश अनुसार होगी, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना अनिवार्य होगा। यदि नियंत्रण समिति द्वारा यदि सत्र 2019-20 हेतु शुल्क का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो शुल्क की भरपाई की जानी होगी।

- ✓ संस्थान को (सरकार अशासकीय शिक्षा समितियों तथा उच्च समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में अनुमत प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अनारक्षित सभी को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार नियमित एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था में छात्राध्यापिकाओं के आवासी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था द्वारा प्रवेश शासन द्वारा घोषित नये विषयों/शिक्षकों/अशिक्षकों/कार्यालयों/निर्माण एवं विस्तार, अशिक्षक शिक्षा, उत्तर, अनुमत प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर तथा अशिक्षक शिक्षा परिषद, उत्तर द्वारा घोषित नये विषयों, विस्तारों, अर्थों, निर्माण का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ विद्यालय द्वारा कार्यवाही पाठ्यक्रम की सम्बन्ध सारी नीतियाँ/नई विधियों के अनुपालन प्राप्त करने के आवश्यक सारी है जो कुछ राज्य में समय-समय पर शासन द्वारा प्रदेश और विभिन्न स्तर के किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। अशिक्षक शिक्षा परिषद, अनुमत प्रवेश परीक्षा परिषद, अशिक्षक शिक्षा निदेशालय एवं अशिक्षक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन की कोई बात पालन किया जाता है तथा शासन द्वारा के संबंध में या न्यायालय द्वारा किसी प्रकरण की प्रतिकूलता संबंधी प्रवेश निर्गत किया जाता है तो संस्था प्रतिकूलता स्वयंसिद्ध संस्था की करनी होगी।
- ✓ विद्यालय द्वारा कार्यवाही पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को अनुमत प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासनादेश द्वारा प्रवेश पत्र के लिए अशिक्षक प्रवेश परीक्षा हेतु अशिक्षक शिक्षा प्राप्त होने के पूर्व नियमावली के अनुमोदन प्राप्त का परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उनकी प्रवेश की **(अशिक्षक के चयन के अवसर संस्था स्वयं का होगा होगा)** अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश शासनादेश द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत मार्गदर्शन आवश्यक नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने नियमावली पर संस्था की सम्बन्ध सूचनाएं तथा संस्था की दीर्घकालिक पूर्णकालिक, स्थायी, तदर्थ-अस्थायी, संविदाकर्मी, प्रवेश लिए जाने वाले छात्र शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के साथ शिक्षण गैरकानूनी के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक उपलब्ध सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रशासनिक/शैक्षणिक पाठ्यक्रम को चलाने जाने हेतु निर्धारित समिति के समक्ष उपलब्ध करने वाले अशिक्षक, कृषि-भवन, कार्यालय, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को पूर्णतयी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्थान संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(अजीत कुमार सिंह)
सचिव

पृ०सं०- सचिव/सचिव सम्बद्धता/2018/1120-2040 दि० दिनांक- 13-8-2018

अधिशासी-अशासकीय/निदेशक, जेएनएनएमसी सीमेंट प्रीत फार्मेसी, कोटी पुरी, मथुरा।

(अजीत कुमार सिंह)
सचिव

कार्यालय,
सचिव, प्रारंभिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या– प्रशिक्षा/परिषद सम्बद्धता/2020/[illegible] लखनऊ: दिनांक 16-9-2020

–कार्यालय ज्ञाप–

सचिव भारतीय [illegible] शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/[illegible] [illegible] [illegible], नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु विभिन्न [illegible] [illegible] को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्रारंभिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 16-6-2020 को आयोजित प्रारंभिक शिक्षा परिषद [illegible] लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक आयोजित हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं की सम्बद्धता/पूर्व से सम्बद्धित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/[illegible]/[illegible] अथवा त्रुटि सहित प्राप्त पाई गई पत्रावली पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-4 में निम्नवत् हुए कार्यवाही पत्रावलियों [illegible] करते [illegible] हुई में सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा पारित निर्णय-विवरण का निम्नवत् निर्णय लिया गया :–

" दिल्ली क्षेत्र में स्थापित विद्यालय इस कार्यालय पत्रावलियों संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्रारंभिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीआरओआई द्वारा उन्हें संस्थावार अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीआरओआई द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पत्रावली/प्रवेश संख्या के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया इस कार्यालयपत्रावली में पीआरओआई द्वारा प्रदान अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 16-06-2020 को आयोजित सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्रारंभिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु विभिन्नवर्ग में अंकित पत्रावली एवं उसमें अंकित प्रवेश संख्या हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :–

क्र0 सं0	संस्था आई0डी0	संस्था का नाम	पत्रावली का नाम	पीआरओआई0 द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश संख्या	पीआरओआई0 /परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश संख्या
1	[illegible]	[illegible] शिक्षा [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था [illegible]/पीआरओआई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा परिषद [illegible] शिक्षा परिषद [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] द्वारा निर्गत किये जाने वाले [illegible] कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित होगा। शेष निर्धारण अवधि हेतु यदि कर प्रदाता-[illegible] हेतु [illegible] का पुनर्निर्धारण किया जाना है, तो शीघ्र ही नोटिसों को लागू होगी।

- ✓ सभी [illegible] अतिरिक्त जिला अधिकारियों तथा उप अधिकारियों, [illegible] के समक्ष किया जाना विचाराधीन-प्रकरण की सूची का अनुपालन कराना होगा।
- ✓ सभी के अनुसार प्रतिवर्ष परिषद अधिनियम द्वारा आवंटित कार्यों को ही प्रथम किया जायेगा। शेष के लिया [illegible] की तिथि में प्रदान प्रति सप्ताह के निर्देशानुसार ही प्रतिवर्ष [illegible] कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ सभी को [illegible] पर निर्गत [illegible] के अनुसार निर्धारण [illegible] सम्बन्धित सूचना जमा कराना होगा।
- ✓ सभी को [illegible]/[illegible] के अन्तर्गत [illegible] हेतु [illegible] द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ सभी [illegible] प्रतिवर्ष [illegible] द्वारा [illegible] एवं निर्धारण, अतिरिक्त जिला, [illegible], [illegible] प्रतिवर्ष परिषद, [illegible] तथा अतिरिक्त जिला परिषद, [illegible] द्वारा [illegible] एवं निर्धारण, [illegible], [illegible], निर्धारण का [illegible] के लिये [illegible] होगी।
- ✓ निर्धारण द्वारा [illegible] [illegible] की [illegible] [illegible] के अनुसार [illegible] करना करने के अलावा यदि है तो इस संबंध में [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] की कार्यवाही के लिए [illegible] [illegible] [illegible], अतिरिक्त जिला परिषद, अतिरिक्त जिला निर्धारण एवं अतिरिक्त जिला निर्धारण [illegible] प्रदान [illegible] की कोई [illegible] [illegible] किया जाना है तथा [illegible] [illegible] के संबंध में [illegible] द्वारा किसी [illegible] की प्रतिपुष्टि सम्बन्धी अवधि निर्गत किया जाना है तो सम्बन्धित प्रतिपुष्टि संबंधित [illegible] की कार्यवाही होगी।
- ✓ निर्धारण द्वारा [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] की अनुपालन प्रदान परिषद परिषद, [illegible] प्रदान [illegible] द्वारा [illegible] [illegible] के लिए [illegible] प्रदान परिषद [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] **(अतिरिक्त जिला के [illegible] के अवधि [illegible] जिला [illegible] [illegible])** [illegible] नहीं [illegible] की जायेगी।
- ✓ [illegible] प्रदान [illegible] द्वारा प्रदत्त [illegible] निर्गत [illegible] [illegible] के अनुपालन कराना आवश्यक होगा।
- ✓ सभी को [illegible] [illegible] [illegible] की [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]